पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 74/18

अनवान : 1. कुनणमल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

—वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मोमन जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. रामप्रताप पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. चन्द्रकला पुत्री रामस्वरूप पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल पन्नीवाला मोटा तहसील सिरसा।
4. निर्मला पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी नेठराना हाल पन्नीवाला मोटा तहसील सिरसा।
5. लीलावती पुत्री रामस्वरूप पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नेठराना हाल खाबड़ा तहसील फतेहाबाद।
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्श शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 नेठराना में वकीलवादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 एनटीआर के खाता सं० 172/160 के मु० न. 12 किला न. 1 ता 4, 7 ता 10, 12, 13, मु० न. 58 के किला न. 1 ता 25 मु० न० 63 किला न० 1 ता 12, की कुल 11.435 हैक्टर नहरी/बारानी मय रास्ता की भूमि में प्रतिवादी रामस्वरूप का 392 हिस्से में, चक 7 एनटीआर के खाता सं० 80/72 के मु० न. 26 के किला न. 14 ता 16, 25 मु० न. 27 के किला न. 11 ता 25 कुल 4.807 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी रामस्वरूप का 1/2 हिस्से में वादी कुनणमल व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं० 3 ता 5 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)